सिंधु नदी जल में गुजरात का हिस्सा

*583. श्रीमती सविता शारदा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने सिंधु नदी जल में अपने हिस्से की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस मांग पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो कब तक इस पर विचार किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। गुजरात सरकार ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए सिंधु नदी का जल मुहैया कराने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया गया है और मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए सिंधु नदी का जल मुहैया कराना उचित नहीं है।

Water Share of Gujarat in Indus River

†*583. SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat has demanded its share in water of river the Indus;

(b) if so, whether Government have so far given consideration to the demand; and

(c) if so, the details thereof and if not, by when the same is likely to be considered?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) Yes, Madam. Government of Gujarat have requested for providing waters of the river Indus to the Kutch region of Gujarat.

(b) and (c) The matter has been considered and according to the existing Indus Waters Treaty, it is not permissible to provide waters of the river Indus to the Kutch region of Gujarat.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग ''ग'' का जवाब दिया है कि, ''इस मामले पर विचार किया गया है और मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार गुजरात के कच्छ क्षेत्र के लिए सिंधु नदी का जल मुहैया कराना उचित नहीं है।'' सभापति महोदय, 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात् दोनों देशों के बीच में पानी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। वर्ष 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी के जल के बारे में एक समझौता हुआ जिसे इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया गया। इस समझौते में ईस्टर्न नदियों सतलुज, व्यास और रावी के पानी का उपयोग भारत के लिए और चेनाब, झेलम और सिंधु नदी के जल को पाकिस्तान के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया। इस वर्ष यह एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। महोदय, देश की कुल आबादी का 5 प्रतिशत हिस्सा गुजरात में रहता है और उसे केवल दो प्रतिशत जल-संसाधान उपलब्ध हैं। गुजरात का संभवत: सब से बड़ा जिला कच्छ, सिंधु के कछार का हिस्सा है। यह भी उल्लेखनीय है कि गुजरात पिछले कई वर्षों से जल संकट का सामना कर रहा है और वर्षा का अनुपात भी वहां बहुत कम है। लगभग 10 से 12 इंच तक वहां वर्षा होती है। इस तरह वहां जल की काफी जरूरत है। महोदय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और काश्मीर का जो पानी मुहैया कराया गया है, ...(व्यवधान)... वह 17.17 मिलियन हैक्टेयर फीट है। ...(व्यवधान)... महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न यह है कि क्या गुजरात राज्य के कछार का पानी बनासकांठा में मिलेगा?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, the Indus Water Treaty was signed in the year 1960. It is a perpetual treaty, and there is no provision for providing water under this treaty to the Kutch area, because it does not come under the drainage basin of the Indus river. So, I am afraid, that I cannot help the hon. Member because it is not covered under the said Treaty.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य के जल संकट को देखते हुए अभी राष्ट्रीय जल स्रोत परिषद् की जो बैठक हुई थी, उस में मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पार और तापी लिंक एवं शारदा यमुना राजस्थान लिंक को साबरमती ग्रिड से जोड़ने का अनुरोध किया है साबरमती ग्रिड को जोड़ने से उसके फालतू पानी का सार्थक उपयोग हो सकेगा। तो क्या वहां के जल संकट को दूर करने के लिए आप ने कुछ विचार किया है?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, we are having one link under the National Water Development Agency Programme. Under the aegis of the National Water Development Agency, we are having a link, that is, the Par-Tapi Narmada river link. If it materialises, then certainly, water can be provided to the Kutch area. These rivers pass through different States. If the different States agree, then this Link Canal can materialise, and water can be provided to the Kutch area.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Performance of Oil Companies in post APM Regime

*584. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of public sector oil companies which would suffer loss in the month of April with the dismantling of APM from the first of April and his instructions to the oil companies to maintain the prices of petroleum products constantly;

(b) the amount of profit the stand-alone refineries in the private sector would make after dismantling of APM in the month of April; and

(c) in what manner Government propose to balance the increase in cost of crude oil and selling of petro-products in the open market at international parity?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) No instructions have been issued by the Government to the public sector oil companies regarding the prices of petroleum products after the dismantling of Administered Pricing Mechanism (APM).

The making of profit or incurring loss by an oil company would *inter-alia* depend upon factors such as the prevalent international price of crude oil and petroleum products, cost of production and distribution, demand marketing strategy etc. In the month of April 2002, the prices of crude oil and petroleum products in the international market had increased. However, profift or loss of any oil refinery or marketing company would be known only after the close of the financial year.